न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 38/24 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2024/123

अनवान्

1. श्री संदीप पिता अशोक वैरागी नाबालिग सरंक्षक माता कुसुम पत्नी अशोक वैरागी निवासी तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली।
2. सुश्री हेतल पिता अशोक वैरागी नाबालिग सरंक्षक माता कुसुम पत्नी अशोक वैरागी निवासी तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली।

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री अशोक पिता हिम्मतदास वैरागी निवासी तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली।
2. कान्ता पुत्री हिम्मतदास वैरागी निवासी तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली।
3. पुष्पा पुत्री हिम्मतदास वैरागी निवासी तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली।
4. सीमा पुत्री हिम्मतदास वैरागी निवासी तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली।
5. श्री देवीदास पिता केशुदास वैरागी निवासी तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली।
6. पटवारी पटवार हल्का तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 23.09.2025

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा तुलसीदास जी की सराय पटवार हल्का तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली की आराजी नम्बर 434, 904/434 किता 2 कुल रकबा 0.4613 हेक्टेयर हम प्रार्थीगण के पिता विपक्षी संख्या 1 अशोक के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं।
2. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात पूर्व में केशुदास पिता मगनीराम जी वैरागी के नाम पर दर्ज थी तथा केशुदास के निधन के उपरान्त उक्त वर्णित आराजीयात विरासत से हिम्मतदास, देवीदास पिता केशुदास जी एवं पार्वतीबाई पत्नी केशुदास जी वैरागी के नाम पर 1/3–1/3–1/3 हिस्से से दर्ज हुई तथा पार्वतीबाई की वर्तमान में मृत्यु हो जाने से वर्तमान में देवीदास एवं हिम्मतदास [illegible]रिसों के नाम पर 1/2–1/2 हिस्से से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:46 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है तथा हम प्रार्थीगण के दादा हिम्मतदास जी वैरागी की मृत्यु के उपरान्त उक्त वर्णित पुश्तैनी आराजीयात विरासत से विपक्षी संख्या 1 एवं विपक्षी संख्या 2, 3 व 4 के नाम पर हिस्से अनुसार दर्ज हुई तथा उक्त वर्णित आराजीयात सम्पूर्ण हिस्से से विपक्षी संख्या 1 एवं विपक्षी संख्या 2 से 4 के नाम पर हिम्मतदास जी वैरागी की विरासत से दर्ज हुआ। उक्त वर्णित जमीन पुश्तैनी आराजीयात हैं। हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 के विधिक वारिस एवं विपक्षी संख्या 1 संयुक्त परिवार के रूप में उक्त जमीन पर हिस्से अनुसार कब्जे काश्त होकर खेती करते चले आ रहे हैं।

3. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात मौरूसी होने से एवं हम प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 अशोक पिता हिम्मतदास जी की जायन्दा सन्तान होने की वजह से अपने जन्म से उक्त सम्पति में स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी है उक्त वर्णित आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 अशोक के नाम दर्ज जमीन में हम प्रार्थीगण का भी हक व हिस्सा जन्म से ही निहित हो गया है परन्तु विपक्षी संख्या 1 अशोक ने अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण जमीन का नाजायज फायदा उठा कर नाजायज रूप से जमीन को विक्रय एवं हस्तान्तरण करना चाहता है जबकि मौके पर हम प्रार्थीगण कब्जे काश्त होकर खेती करते चले आ रहे है, विपक्षी संख्या 1 द्वारा हम प्रार्थीगणों को जमीन से बेदखल करने की ऐलानिया धमकीया दी जा रही है तथा हम प्रार्थीगण हिम्मतदास के पौत्र एवं पौत्री होने की वजह से विपक्षी संख्या 1 को विरासत से मिली हुई जमीन में से मेरे हक हिस्से को विक्रय करने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई पुश्तैनी सम्पति में हम प्रार्थीगण अपना हिस्सा हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। उक्त वर्णित सम्पति मौरूसी सम्पति है हम प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 की जायन्दा पुत्र व पुत्री होने की वजह से हमें उक्त सम्पति में हिन्दू उत्तराधिकार के तहत् जन्म से अधिकार प्राप्त हो चुके है। जिस कारण हम प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजीयात में अपना नाम हिस्सेनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी हूं तथा हम प्रार्थीगण के अलावा विपक्षी संख्या 1 के अन्य वारिसान नहीं हैं। जिस कारण हम प्रार्थीगण अपना नाम हिस्से अनुसार अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।

4. यह कि हम प्रार्थीगण की मौरूसी आराजीयात में किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने एवं उक्त वर्णित आराजीयात को हस्तान्तरित करने का कोई अधिकार नहीं है, इसके बावजूद भी विपक्षी संख्या 1 जबरन ताकत के बल पर वादग्रस्त आराजीयात में हमें जबरन बेदखल करने की कोशिश कर रहे है जिन्हें कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:46 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 1 के मन में बदनियति आ जाने से विपक्षी संख्या 1 ने नाजायज रूप से कब्जा करने की नियत से हम प्रार्थीगण को मेरे दादा जी की विरासत से प्राप्त हिस्से की आराजीयात से महरूम रखने के साथ–साथ उक्त भूमि को हस्तान्तरित करने पर आमादा हो रहे है जिसका विपक्षी संख्या 1 को उक्त वर्णित आराजीयात को खुर्द–बुर्द एवं किसी भी तरह से हस्तान्तरित करने का विपक्षी संख्या 1 को कोई हक व अधिकार नहीं है विपक्षी संख्या 1 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाना आवश्यक है कि विपक्षी संख्या 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में किसी भी प्रकार नया निर्माण नहीं करे, न ही उक्त वर्णित आराजीयात को खुर्द–बुर्द व किसी भी तरह से हस्तान्तरित न करे न ही किसी अन्य से करावे एवं उक्त आराजीयात की वर्तमान स्थिति में किसी भी तरह से फेर–बदल नहीं करें।

5. यह कि हम प्रार्थीगण का प्राइमाफैसी केस है, सुविधा संतुलन हम प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित जमीन हम प्रार्थीगण को हमारे दादा हिम्मतदास की विरासत से प्राप्त होने से हम प्रार्थीगण के अधिकार आधिपत्य हिस्से अनुसार कब्जे में चली आ रही है तथा सुविधा संतुलन भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। इसलिए हम प्रार्थीगण उक्त आराजीयात को अपने नाम हिस्सेनुसार स्वतन्त्र रूप से दर्ज कराने के अधिकारी हैं। विपक्षीगण को दिनांक 25.03.2024 को हम प्रार्थीगण को हमारे दादा जी की विरासत से प्राप्त प्रार्थना पत्र में वर्णित पुश्तैनी, पैतृक आराजीयात पर अवैध कब्जा करने की नियत से लडाई झगडा करने पर उतारू है। इसलिए हम प्रार्थीगण को विवश होकर यह वाद पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है। जिससे वाद कारण दिनांक 25.03.2024 को उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन है कि विपक्षी संख्या 1 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद फरमाया जावे कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को किसी भी तरह से खुर्द बुर्द एवं किसी भी तरह से हस्तान्तरित न तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य के मार्फत करावें एवं मौके एवं रिकार्ड की स्थिति बनाये रखें।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

7. प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:46 IST
Reason: SelfAttested

8. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 5 व पार्वतीबाई के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीगण उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थी का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की मौरूसी सम्पति है तथा मौरूसी सम्पति में हमारा भी हक हिस्सा निहित है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पडदादा केशुदास जी के नाम पर दर्ज थी जो केशुदास जी की मृत्यु के पश्चात् विरासत से प्रार्थीगण के दादा हिम्मतदास जी व अन्य वारिसों के नाम पर दर्ज हुई तथा हिम्मतदास जी की मृत्यु के पश्चात् विरासत से विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हुई। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को मूल पुरूष प्रार्थी के पडदादा केशुदास जी के समय से चली आना बताकर अपने हिस्से की घोषणा चाही हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर पैतृक सम्पति में घोषणा का वाद होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।
2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 5 व पार्वतीबाई के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होने से यदि विपक्षी संख्या 1 को पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज भूमि को रहन बेह बक्षीस विक्रय आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देता है तो इससे प्रार्थीगण को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से सुविधा संतुलन का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।
3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दू–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 5 व पार्वतीबाई के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से अपने हिस्से की घोषणा चाही हैं। इसलिए यदि विपक्षी संख्या 1 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:46 IST
Reason: SelfAttested

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा तुलसीदास जी की सराय पटवार हल्का तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 8 पर दर्ज आराजी नम्बर 434, 904/434 किता 2 कुल रकबा 0.4613 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 से 5 व पार्वतीबाई के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता अशोक विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से अपने हिस्से की घोषणा चाही गई हैं। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के पिता विपक्षी संख्या 1 अशोक के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होकर प्रार्थीगण का जन्म से ही हक हिस्सा निहित होना प्रतीत होता है। भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 1 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द, हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होंगी तथा प्रार्थीगणों को अपने हिस्से से वंचित होना पडेगा। विपक्षीगण द्वारा बावजूद सूचना उपस्थित होकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया। इससे भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को बल मिलता हैं।

इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय की नजीर **RLW 2005(2) page 219,** में **''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 – अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करना– अपने पिता के जीवन काल में पिता की पैतृक सम्पति में हिन्दू पुत्र का अधिकार– पुत्र ने घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद दायर किया – भूमि हस्तान्तरण की आशंका – अस्थाई निषेधाज्ञा चाही– अभिनिर्धारित – अपने पिता की पैतृक सम्पति में एक हिन्दू पुत्र का अधिकार होता है और वह उसका विभाजन करा सकता है– अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रयोजन विवाद की विषय वस्तु को अधिकारों के संबंध में निर्णय होने तक वर्तमान स्थिति में बनाये रखना है और आगे किसी संभावित क्षति से सुरक्षा करना है।''** माननीय न्यायालय की उक्त नजीर इस प्रकरण पर हूबहू चस्पा होती है।

अतः ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जावे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:46 IST
Reason: SelfAttested

का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि विपक्षी संख्या 1 अशोक मूल वाद के निस्तारण तक मौजा तुलसीदास जी की सराय पटवार हल्का तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 8 पर दर्ज आराजी नम्बर 434, 904/434 किता 2 कुल रकबा 0.4613 हैक्टेयर भूमि में अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:46 IST
Reason: SelfAttested